



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 518 राँची, सोमवार,

28 अगस्त, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प

29 अगस्त, 2022

विषय:- झारखण्ड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थवर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक को देय एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने के संबंध में ।

संख्या-3432--विभागीय संकल्प संख्या-5151, दिनांक-26.09.2019 द्वारा झारखण्ड पुलिस के चतुर्थवर्गीय कर्मी, आरक्षी, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक तथा निरीक्षक को एक माह का वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) के समतुल्य मानदेय भुगतान का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प के कंडिका-03 (VII) में इस सुविधा का उपभोग करने वाले पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को पूर्व से देय क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा अनुमान्य नहीं दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है ।

2. उक्त प्रावधान के संदर्भ में पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस हस्तक नियम 784 (ज) में वर्णित प्रावधान के तहत प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में देय 20 (बीस) दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को सभी पुलिसकर्मियों के लिए पुनः बहाल करने का अनुशंसा की गई। साथ ही माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी इस सुविधा को जल्द से जल्द लागू करने हेतु सदन में वक्तव्य दिया गया जिसके निमित्त मुख्य सचिव, झारखण्ड के अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक-28.07.2022 को आहूत बैठक में क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः उक्त मानदेय की सुविधा प्राप्त करने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए लागू किये जाने हेतु संकल्प सं0-5151, दिनांक-26.09.2019 की कंडिका-3 (VII) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किये जाने का अनुशंसा किया गया:-

“3 (VII) -की सुविधा का उपभोग करने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को भी पूर्व की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा अनुमान्य होगी।”

उक्त के आलोक में झारखण्ड राज्य के झारखण्ड पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों में से चतुर्थवर्गीय कर्मी, सिपाही, हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक को देय एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान के संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः बहाल करने के प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. पुलिस मुख्यालय एवं मुख्य सचिव झारखण्ड के अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता को पुनः उक्त मानदेय की सुविधा प्राप्त करने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों के लिए लागू किये जाने के निमित्त संकल्प सं0-5151, दिनांक-26.09.2019 की कंडिका-3 (VII) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है:-

“3 (VII). इस सुविधा का उपभोग करने वाले पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को भी पूर्व की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा अनुमान्य होगी।”

4. गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागीय संकल्प संख्या-5151, दिनांक-26.09.2019 इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागीय संलेख ज्ञापांक-3372, दिनांक-24.08.2022 के क्रम में दिनांक-24.08.2022 की बैठक के मद संख्या-33 में दी गई है।

6. संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव अरूण एक्का),
सरकार के प्रधान सचिव।
